कार्रवाई को आगे बढ़ाना : लोकपाल अधिनियम पर

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

19 जनवरी, 2019

"लंबी देरी के बाद, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उठाया गया कदम लोकपाल को स्थापित करने में मद्दगार साबित होगा।"

लोकपाल के संबंध में ये स्थिति कभी नहीं आनी चाहिए थी। जहाँ सरकार को भ्रष्टाचार विरोधी संस्था की स्थापना की दिशा में थोड़ी बहुत भी पहल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की आवश्यकता पड़ रही है। अदालत ने लोकपाल अधिनियम के तहत आठ सदस्यीय खोज समिति (सर्च कमेटी) को फरवरी अंत का समय दिया है, जो देश की पहली भ्रष्टाचार रोधी संस्था लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की सिफारिश करेगी।

लोकपाल सर्च कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि सर्च कमेटी के कामों को पूरा करने के लिए सुविधाएं और जन-शक्ति को उपलब्ध कराए। इस शॉर्टलिस्ट को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति को भेजना होगा।

एक खोज समिति को अपना काम शुरू करने में पाँच साल लग गए, जबकि लोकपाल अधिनियम, 2013 को 1 जनवरी, 2014 को ही राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गयी थी। इसका गठन 27 सितंबर, 2018 को हुआ था, जब 'कॉमन कॉज' नामक एक एनजीओ ने अप्रैल, 2017 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बावजूद प्राधिकरण के गठन में देरी को लेकर सरकार के खिलाफ एक अवमानना याचिका दायर की थी।

यह सच है कि खोज समिति की स्थापना में कुछ जमीनी कार्य की आवश्यकता है, साथ ही इसकी संरचना को विभिन्न क्षेत्रों; जैसे-भ्रष्टाचार-विरोधी नीति, सार्वजनिक प्रशासन, कानून, बैंकिंग और बीमा से रेखांकित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, इसकी आधी सदस्यता में महिलाओं, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार शामिल होने चाहिए।

हालाँकि, यह सरकार का कर्त्तव्य है कि वह इस प्रक्रिया में तेजी लाए और खुद देरी का कारण न बने। इसके बनने के बाद भी कार्यालय समिति, जनशक्ति, बुनियादी ढांचे और एक सचिवालय की कमी के कारण सर्च कमेटी कमजोर बनी हुई है।

अदालत ने अब सरकार से आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने को कहा है। पूर्व में भी, अदालत ने संस्था बनाने में देरी के लिए केंद्र को फटकार लगाई थी, लेकिन परिणाम उत्साहजनक नहीं रहा। अप्रैल, 2017 के अपने फैसले में, अदालत ने इस कारण को खारिज कर दिया कि सरकार संसदीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर संशोधन के पारित होने का इंतजार कर रही थी और कहा कि चयन समिति पर कोई कानूनी रोक नहीं है, भले ही उसमें कोई पद खाली हो।

इससे पहले शीर्ष अदालत ने लोकपाल के लिए खोज समिति के गठन पर केंद्र सरकार की दलीलों को 24 जुलाई, 2018 को 'पूर्णतया असंतोषजनक' बताते हुए उसे चार सप्ताह के भीतर 'बेहतर हलफनामा' दायर करने का निर्देश दिया था। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने 27 सितंबर, 2018 को न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय खोज समिति का गठन किया था।

समस्या केवल यह नहीं है कि लोकपाल के गठन का काम प्राथमिकता में नहीं दिख रहा है, बल्कि यह भी है कि राज्य सरकारें लोकपाल की तर्ज पर लोकायुक्त के गठन में भी दिलचस्पी नहीं दिखा रही हैं। एक समस्या यह भी है कि कुछ लोग अपने मन मुताबिक लोकपाल व्यवस्था का निर्माण होते देखना चाहते हैं। हो रही देरी के पीछे राजनीति का सबसे बड़ा हाथ है।

चयन समिति, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रख्यात न्यायविद् शामिल हैं, अतीत में मल्लिकार्जुन खड़गे के बिना भी बैठक कर चुके हैं, जो लोकसभा में कांग्रेस के प्रमुख हैं। वह बैठकों में हिस्सा लेने से पीछे भाग रहे है, क्योंकि वह इस बात से व्यथित हैं कि सरकार ने उन्हें पूर्ण सदस्य नहीं बनाया और उसे विशेष आमंत्रित व्यक्ति के रूप में चुना।

उधर सरकार भी अपने दृष्टिकोण पर अडिग है कि श्री खड़गे को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। इस उद्देश्य के लिए सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता के रूप में व्यवहार करने के लिए एक साधारण संशोधन द्वारा सीबीआई निदेशक और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जैसे अन्य पदों पर नियुक्तियों के संबंध में इस मामूली मुद्दे को हल किया गया है।

यह संशोधन दिसंबर, 2015 में एक संसदीय समिति की रिपोर्ट का समर्थन करने के बावजूद भी नहीं लाया गया। लो. कपाल की स्थापना में हुई देरी के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी को ही दोषी कहराया जा सकता है।

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल को लेकर अहम निर्देश दिया है।
- शीर्ष अदालत ने सर्च कमेटी को निर्देश दिया है कि वह लोकपाल और सदस्यों की सूची तय करे।
- अदालत ने कहा कि लोकपाल और सदस्यों के नामों को अंतिम रूप दिया जाए। इसके लिए अदालत ने फरवरी तक की मियाद दी है।
- खोज समिति की प्रमुख सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई हैं।

क्या है?

- भारत के राष्ट्रपति द्वारा 1 जनवरी, 2014 को लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2013 पर हस्ताक्षर करते ही यह विधेयक 'अधिनियम' बन गया।
- इसमें केंद्र स्तर पर लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।
- इस अधिनियम में सार्वजनिक व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच के लिये एक सांविधिक निकाय का गठन किया गया था।

प्रमुख प्रावधान

- लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम आठ सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 50% सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि से होने चाहिये।
- लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन एक 'चयन समिति' के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष के नेता, भारत के प्रमुख न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल होंगे।
- एक अन्य सदस्य कोई प्रख्यात विधिवेत्ता होगा, जिसे इन चार सदस्यों की सिफारिश पर राष्ट्रपति नामित करेंगे।
- लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में लोकसेवकों की सभी श्रेणियाँ होंगी।
- कुछ सुरक्षा उपायों के साथ प्रधानमंत्री को भी इस अधिनियम के दायरे में लाया गया है।
- अधिनियम के अंतर्गत ईमानदार लोकसेवकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
- अधिनियम में भ्रष्ट तरीकों से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त करने का भी प्रावधान है, चाहे अभियोजन का मामला लंबित ही क्यों न हो।
- अधिनियम में प्रारंभिक जाँच और ट्रायल के लिये स्पष्ट समय सीमा निर्धारित की गई है। ट्रायल के लिये विशेष अदालतों के गठन का भी प्रावधान है।
- सर्च कमेटी लोकपाल अध्यक्ष और सदस्यों के नामों का पैनल तैयार करके चयन समिति को देती है और चयन समिति उसमें से नियुक्ति के लिए नाम चुनती है।
- चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, नेता विपक्ष और प्रख्यात कानूनविद् होते हैं।
- नियम के मुताबिक लोकपाल अध्यक्ष के लिए सर्च कमेटी पांच नामों का पैनल तैयार करेगी, जबकि आठ सदस्यों जिनमें चार न्यायिक सदस्य और चार प्रशासनिक सदस्यों के लिए सर्च कमेटी 12-12 नामों का पैनल तैयार करेगी।
- नियम के मुताबिक लोकपाल सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश अथवा असंदिग्ध निष्ठा वाला अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ प्रख्यात व्यक्ति हो सकता है जबकि सदस्यों में न्यायिक सदस्य वर्तमान या सेवानिवृत्त हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश हो सकते हैं।

क्या है लोकपाल का फायदा

- लोकपाल के पास सेना को छोड़कर प्रधानमंत्री से लेकर नीचे चपरासी तक किसी भी जन सेवक (किसी भी स्तर का सरकारी अधिकारी, मंत्री, पंचायत सदस्य आदि) के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की सुनवाई का अधिकार होगा।
- साथ ही वह इन सभी की संपत्ति भी जब्त कर सकता है। विशेष परिस्थितियों में लोकपाल को किसी आदमी के खिलाफ अदालती ट्रायल चलाने और 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का भी अधिकार होगा।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. **निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**

   1. लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम आठ सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से कुल सदस्यों में से आधे सदस्य न्यायिक क्षेत्र से संबंधित हैं।

   2. लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

   (a) केवल 1 (b) केवल 2

   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

2. **निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**

   1. लोकपाल की चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, नेता विपक्ष और प्रख्यात कानूनविद् होते हैं।
   2. लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में लोकसेवकों की सभी श्रेणियाँ आती हैं।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

   (a) केवल 1 (b) केवल 2

   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

1. **Consider the following statements -**

   1. Lokpal can have a president and maximum eight members in which half of the members are from judicial area.
   2. The president and members of Lokpal are chosen by the President.

   Which of the above statements is/are correct?

   (a) Only 1 (b) Only 2

   (c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

2. **Consider the following statements -**

   1. The Selection Committee of Lokpal includes Prime Minister , Lok Sabha Speaker, Leader of Opposition and eminent Lawer.
   2. All the categories of public servants are under the jurisdiction of Lokpal.

   Which of the above statements is/are correct?

   (a) Only 1 (b) Only 2

   (c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न:- लोकपाल की स्थापना में राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी को देखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उठाया गया कदम लोकपाल को स्थापित करने में कहाँ तक हितकर साबित होगा? विश्लेषण कीजिए।

(250 शब्द)

Q. Observing the low political interest in Lokpal, to what extent the steps taken by the Supreme Court will proved to be beneficial for establisling Lokpal? Analyse.

(250 Words)

नोट : 18 जनवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(a) होगा।

Committed to E